16 05/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि प्रार्थी तहसीलदार बाली ने उक्त आवेदन खातेदार देवीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह से सिलिंग नियमों में अधिगृहीत भूमि पुनः खातेदार के नाम दर्ज करने से बेसी रकबा 1.36 हैक्टर पुनः सिवायचक दर्ज किये जाने की दलील दी जा रही है। तहसीलदार बाली द्वारा अपने आवेदन पत्र में कही पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भू-प्रबंध पूर्व के अधिकार अभिलेखों में एसेसी देवीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के नाम कितनी भूमि खातेदारी में दर्ज थी तथा भू-प्रबंध बाद के अधिकार अभिलेखों में कितनी भूमि दर्ज हुई, जिसके आधार पर यह माना जाये कि सैटलमेंट के पश्चात एसेसी देवीसिंह के नाम 1.36 हैक्टर बेसी रकबा दर्ज होने से सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार बाली ने अपने आवेदन पत्र में यह भी वर्णित किया है कि मिसल बंदोबस्त व सैटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान में 135 बीघा यानि 61.60 हैक्टर से ज्यादा भूमि दर्ज होने से सिवायचक किये जाने की मांग की गई है। इस प्रकार तहसीलदार बाली के आवेदन में यह स्पष्ट नहीं है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की गई है, जबकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों अनुसार भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान लिपिकीय त्रुटियां की जाने पर बतौर लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी दुरस्ती के आदेश दे सकता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बाली के आवेदन अनुसार सिलिंग सीमा 135 बीघा से अधिक भूमि खाातेदार देवीसिंह के नाम दर्ज होने से आधिक्य भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने की मांग की गई है। तहसीलदार बाली का उक्त आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया इन्द्राज दुरस्ती का न होकर सिलिंग सीमा 135 बीघा यानि 21.60 हैक्टर से ज्यादा भूमि दर्ज होने से आधिक्य रकबा को सिवायचक किये जाने का निवेदन किया है। जो आवेदन पत्र अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत होना चाहिये था। अतः प्रकरण में भूमिधारी (तहसीलदार) बाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का समग्र अवलोकन करें। यदि प्रकरण जोत के अधिकतम सीमा अधिरोपण का पाया जाता है तो एक माह के भीतर समक्ष अधिनियम की धारा में पुनः पेश करने की अनुमति दी जाती है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली